

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजन) विभाग

क्रमांक :- प.7(5) प्रशि/आयो/ प्रशिक्षण/ 2017

जयपुर, दिनांक 22.09.20

आदेश

B.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन के संबंध में इस विभाग द्वारा सम संख्यक आदेश दिनांक 21.04.2017, 14.09.2017, 19.09.2017 द्वारा जारी किये गये हैं। B.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 19.09.2017, व 20.09.2017 के द्वारा इंटर्नशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा 'आनलाइन विद्यालय आवंटन' मोड्यूल के द्वारा किया गया है। समस्त प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा मांगी गयी प्रथम वरीयता के अनुसार उसी ब्लॉक एवं जिले में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया गया है। परन्तु कई प्रशिक्षणार्थियों को असुविधाजनक विद्यालय आवंटित हो जाने के कारण परिवेदनाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं। परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-


1. B.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं पर निर्णय करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

- I. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम - अध्यक्ष
- II. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वितीय - सदस्य
- III. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय - सदस्य
- IV. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी/अति. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
(शैक्षिक प्रकोष्ठ) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम - सदस्य सचिव

2. B.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं पर समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाकर 'आनलाइन विद्यालय आवंटन' मोड्यूल पर जिले में उपलब्ध रिक्त पदों पर निम्न वरीयता अनुसार जिला जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम द्वारा आनलाईन प्रक्रिया से संशोधित विद्यालय आवंटन किया जायेगा। समिति द्वारा परिवेदनाओं पर निम्न क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जावे।


- I. पारस्परिक आधार पर
- II. दिव्यांग
- III. गर्भवती/3 वर्ष से कम आयु के संतान वाली महिलाएँ
- IV. समस्त महिलाएँ जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ हो, उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संशोधित विद्यालय आवंटित किया जावेगा।
- V. विशेष विद्यालयों में नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य विद्यालय उनकी परिवेदना के आधार पर आवंटित किये जावे।
- VI. उर्दू/पंजाबी/सिंधी/गुजराती विषय के प्रशिक्षणार्थियों को जिन विद्यालय में संबंधित विषय संचालित है वह विद्यालय आवंटित किया जावे।

3. परिवेदनाओं के आधार पर इंटरशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को संशोधित विद्यालय आवंटित करने हेतु 'आनलाइन विद्यालय आवंटन' मोड्यूल पर तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. शालादर्पण द्वारा B.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 19.09.2017, व 20.09.2017 के द्वारा इंटरशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन किये जाने के पश्चात् जिलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या के अनुसार अब शेष रिक्त सीटों वाले विद्यालयों का 'पब्लिक पोर्टल' पर प्रदर्शित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा 'आनलाइन विद्यालय आवंटन' मोड्यूल के पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयों में से ही संशोधित विद्यालय आवंटित किये जायेंगे एवं तकनीकी निदेशक आवश्यकतानुसार संशोधित मोड्यूल तैयार करेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा परिवेदनाओं का निस्तारण दिनांक 06.10.2017 तक आवश्यक रूप से किया जावेगा।
5. उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा परिवेदनाओं का निस्तारण के पश्चात जारी किये गये संशोधित विद्यालय आवंटन की सूची शालादर्पण के मेल आईडी internsraj@gmail.com पर आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें।


 (सुनिल कुमार शर्मा)
 संयुक्त शासन सचिव
 प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहाय माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
2. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, राप्रशिप जयपुर
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर
6. उपायुक्त द्वितीय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर
7. तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. रमसा जयपुर।
8. समस्त उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा
10. समस्त समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
11. कार्यक्रम अधिकारी शालादर्पण पोर्टल को प्रेषित कर लेख है कि ई-मेल के माध्यम से संबंधित को आदेश प्रसारित करें।
12. रक्षित पत्रावली


 (एस.एन. यादव)
 अनुसंधान अधिकारी
 प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)